न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1565–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–2–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 128/अपील/13–14.

———

1– श्रीमती नूरजहां पत्नी अख्तर अली (मृतक)
द्वारा उत्तराधिकारीगण–
1. अरशद खां
2. फरहा
3. अथर
4. फरहीन
5. आफरीन
सभी पुत्र–पुत्रीगण अख्तर अली

2– श्रीमती रौनक जहां पत्नी मेहबूब खां

3– श्रीमती बिरजिश जहां (मृतक) द्वारा वारिसान–
1. वकार खां
2. नासिर खां
3. साबिर खा
4. निसार खां
सभी पुत्रगण हामिद खां
निवासीगण शाहजहांनाबाद, भोपाल

4– श्रीमती अफरोज जहां पत्नी अजहर अली

5– श्रीमती फिरदौस पत्नी अजहर अली

6– श्रीमती फिरोज जहां पत्नी साहब वासिद
सभी पुत्रीगण स्व. अजीज अहमद

7– लईक अहमद

8– अशफाक अहमद

9– अनवर अहमद
सभी पुत्रगण स्व. अजीज अहमद
सभी निवासीगण अहाता रूस्तम खां, भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती रूखसाना बी पत्नी स्व. हबीब अहमद
निवासी ग्राम फतेहपुर डाबेरा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदिका

———

श्री राजेश गिरी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच.एल. झा, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/9/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका के पति स्व. हबीब अहमद द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष ग्राम फतेहपुर डोबरा तहसील हुजूर स्थित सर्वे कमांक 61, 62, 63, 64, 65, एवं 66 कुल रकबा 34.70 एकड़ पर फौती नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ–6/06–07 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान हबीब अहमद की मृत्यु हो गयी । तदोपरांत ग्राम पंचायत फतेहपुर डोबरा द्वारा दिनांक 5–6–2012 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर हबीब अहमद की पत्नी अनावेदिका श्रीमती रूखसाना बी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल को इस आधार पर शिकायत की गई कि मूल भूमिस्वामी स्व. अजीज अहमद के वास्तविक वारिस आवेदकगण हैं, और स्व. हबीब अहमद नौकर थे तथा स्व. हबीब अहमद का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर नहीं होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा सीधे अनावेदिका का नामांतरण करने में गंभीर अनियमितता की गई है । आयुक्त द्वारा शिकायती आवेदन पत्र की जांच किये जाने के आदेश कलेक्टर, भोपाल को दिये गये । कलेक्टर द्वारा शिकायती आवेदन पत्र जांच हेतु नजूल अधिकारी, बैरागढ़ को भेजा गया । नजूल अधिकारी द्वारा अपर तहसीलदार, बैरागढ़ को जॉच के लिये नियुक्त किया गया । अपर तहसीलदार द्वारा जांच उपरांत नजूल अधिकारी को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दूषित कार्यवाही की गई है, अतः उसका आदेश निरस्त किया जाये । नजूल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर

को भेजा गया तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपर कलेक्टर, भोपाल को ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन भेजा गया । कलेक्टर द्वारा शिकायती आवेदन पत्र को अपील मानते हुए निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शिकायती आवेदन पत्र को अपील में दर्ज कर दिनांक 24–6–2009 को आदेश पारित कर ग्राम पचांयत का आदेश दिनांक 5–12–2006 दर्ज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि जॉच प्रतिवेदन व इस आदेश में पाये गये तथ्यों सहित उभय पक्ष की सुनवाई कर गुण–दोष के आधार पर स्व. अजीज अहमद के वारिसान के संबंध में विधिसंगत आदेश पारित करे । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अनावेदिका द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 2–2–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 24–6–2009 निरस्त किया गया, और यह पाते हुए कि तहसीलदार, हुजूर के न्यायालय में पूर्व से ही नामांतरण प्रकरण कमांक 12/अ–6/06–07 प्रचलित होकर उभय पक्ष उसमें उपिस्थत हुए हैं । तहसीलदार हुजूर को उक्त प्रकरण के साथ आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया गया कि अपर तहसीलदार नजूल बैरागढ़ वृत्त के जॉच प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए उनके आदेश में उल्लेखित बिन्दु कमांक 2 लगायत 6 के संबंध में वैधानिक जांच कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुण–दोष के आधार पर नामांतरण के संबंध में विधिसंगत आदेश पारित करें । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 49 (3) में हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता समाप्त हो गई है, अतः अपर आयुक्त का आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी को अपील सुनने की अधिकारिता नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त एवं अपर आयुक्त की शक्तियां समान हैं, अतः आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत अपर आयुक्त द्वारा निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं, इस कारण

भी अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार के समक्ष नामांतरण प्रकरण विचाराधीन है, जिसमें तहसीलदार द्वारा साक्ष्य ली जाकर उसके आधार पर आदेश पारित किया जायेगा, और अपर आयुक्त द्वारा जिन बिन्दुओं की जॉच करने के निर्देश तहसीलदार को दिये गये हैं, उसकी जॉच विधि के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार द्वारा नहीं की जा सकती है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के पिता एवं अनावेदिका के ससुर प्रश्नाधीन भूमियों के भूमिस्वामी हैं । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर वर्तमान में अनावेदिका का कब्जा है, जिसे इस न्यायालय द्वारा भी स्वीकार किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब तहसीलदार के समक्ष नामांतरण प्रकरण लंबित है, तब अपील किस आदेश के विरूद्ध की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें नजूल अधिकारी द्वारा जांच करने पर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदिका का कब्जा पाया गया है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया था, एवं दूसरे दिन कलेक्टर द्वारा अपील मानकर सुनने का आदेश दिया गया है, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि दस्तावेज की जॉच होने में आवेदकगण को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

5/ प्रत्युत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त होने से ग्राम पंचायत का आदेश अस्तित्व में आ जायेगा, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के आधारों की जॉच तहसीलदार द्वारा नहीं की जा सकती है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी स्व. अजीज अहमद के स्थान पर अनावेदिका के पति हबीब अहमद द्वारा राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ–6/06–07 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान हबीब

अहमद की मृत्यु हो जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा अनावेदिका का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिनांक 5–12–2006 से पारित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा आयुक्त के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई, और आयुक्त द्वारा शिकायती आवेदन पत्र जॉच हेतु कलेक्टर को भेजा गया । कलेक्टर द्वारा उस शिकायती आवेदन पत्र की जॉच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त करते हुये शिकायती आवेदन पत्र को अपील मानकर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया, तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 221/अपील/07–08 दर्ज कर दिनांक 24–6–2009 को आदेश पारित किया जाकर ग्राम पंचायत का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 5–12–2006 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । संहिता की धारा 44 में अनुविभागीय अधिकारी के अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध उनको अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । शिकायती आवेदन पत्र को अपील में परिवर्तित कर सुनने का क्षेत्राधिकार अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शिकायती आवेदन पत्र को अपील मानकर अपील में आदेश पारित करने में पूर्णतः क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त कलेक्टर को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे विधि के प्रावधानों के विपरीत अनुविभागीय अधिकारी को शिकायती आवेदन पत्र को अपील मानकर निराकरण करने के निर्देश दे सके । यहां यह भी विचारणीय प्रश्न है कि संहिता के अंतर्गत पारित आदेश में संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ही हस्तक्षेप किया जा सकता है, और संहिता की धारा 44 में शिकायती आवेदन पत्र को अपील मानकर निराकरण करने का प्रावधान नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में आवेदकगण को स्व.भूमिस्वामी अजीज अहमद के पुत्र एवं पुत्रियां मानते हुए विधिक उत्तराधिकारी माना गया है, और उन्हें प्रश्नाधीन भूमि पर नाम दर्ज कराने का पात्र पाया गया है, परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में विस्तृत जांच नहीं की गई है कि वास्तव में आवेदकगण स्व. अजीज अहमद के विधिक उत्तराधिकारी हैं, अथवा नहीं । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता थी कि सर्वप्रथम अनुविभागीय अधिकारी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से यह सुनिश्चित करते कि वास्तव में स्व. अजीज अहमद का वास्तविक

विधिक उत्तराधिकारी कौन है अथवा प्रकरण उपरोक्त कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करते, परन्तु उनके द्वारा आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नाम दर्ज कराने का पात्र मान्य करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित एवं विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में तो वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश पूर्णतः क्षेत्राधिकार रहित होकर अवैधानिक आदेश है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा वाद बिन्दु निर्धारित कर उनके परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश तहसीलदार को देने में अनौचित्यपूर्ण कार्यवाही की गई है, क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा वाद बिन्दु निर्धारित कर उन पर विचार कर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश देने से तहसीलदार द्वारा स्वतंत्र रूप से विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण का निराकरण करने में बाधा उत्पन्न होगी, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि मृतक भूमिस्वामी अजीज अहमद के सभी विधिक वारिसान की जानकारी प्राप्त कर उन्हें सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुये प्रकरण का विधि के प्रावधानों के अनुरूप निराकरण किया जाये ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–2–2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2009 निरस्त किये जाते है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर